पीएम आवास के 127 हितग्राही 16 से 23 जून तक दावा आपत्ति कर सकते है

भिलाईनगर। राज्य शासन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बी.एल.सी.) घटक अंतर्गत मकान आबंटन किया गया है। उसका रैपिड असेंसमेंट सर्वे से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर शासन के निर्देशानुसार तृतीय फेस में निकाय की संयुक्त समिति द्वारा परीक्षण उपरांत संशोधित 127 पात्र आवेदनों की सूची दावा आपत्ति हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। जिस किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा दावा हो तो दिनांक 16.06.2025 से 23.06.2025 तक की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय जोन क्रं. 03 प्रथम तल में लिखित रूप से दावा आपत्ति कर सकते है। दिनांक 23.06.2025 पश्चात किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति अमान्य होगा। रैपिड असेंसमेंट सर्वे में तृतीय फेस में 127 पात्र आवेदकों की सूची को नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय एवं सभी 5 जोन कार्यालयों के सूचना पटल एवं वार्डो के मुख्य स्थलों पर चस्पा किया गया है। नागरिक अपनी सुविधा अनुसार जाकर दावा आपत्ति कर सकते है।